भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

ल खत प्रश्न सं. 2218

गुरूवार, 04 अगस्त, **202**2/13 श्रावण, **194**4 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों की पहचान और उनका सौंदर्यीकरण कया जाना

2218. श्री वजय पाल संह तोमरः

श्री हरनाथ संह यादवः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश के व भन्न स्थानों में पर्यटन स्थलों की पहचान करने और उनके सौंदर्यीकरण के लए कोई योजना प्रस्ता वत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यटन के वकास हेतु प्रदान कये जाने के लए प्रस्ता वत सु वधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. कशन रेड्डी)

(क) से (ग): पर्यटक स्थलों की पहचान और वकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथा प पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक वरासत संवर्धन अ भयान (प्रशाद)' योजनाओं के तहत पर्यटन अवसंरचना एवं सु वधाओं के वकास के लए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वत्तीय सहायता प्रदान की है। पर्यटन मंत्रालय ने अब पर्यटक एवं गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ देश में स्थायी एवं जिम्मेदार पर्यटन गंतव्यों के वकास के लए स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में स्वदेश दर्शन योजना को नया रूप दिया है।

पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के वकास के लए 'पर्यटन अवसंरचना के वकास हेतु केंद्रीय एजें सयों को सहायता' योजना के अंतर्गत भी परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

उत्तर प्रदेश राज्य में स्वदेश दर्शन, प्रशाद और पर्यटन अवसंरचना वकास हेतु केंद्रीय एजें सयों को सहायता योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची अनुबंध-**I** में दी गई है।

स्वदेश दर्शन 2.0, प्रशाद और पर्यटन अवसंरचना वकास हेतु केंद्रीय एजें सयों को सहायता योजनाओं के अंतर्गत अनुमत्य संघटकों की निदर्शी सूची अनुबंध-**II** में दी गई है।

****

अनुबंध-I

उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों की पहचान और उनका सौंदर्यीकरण कया जाना के संबंध में दिनांक 04.08.2022 के राज्य सभा के ल खत प्रश्न सं. 2218 के भाग (क) से (ग) के उत्तंर में ववरण

स्वदेश दर्शन योजना (करोड़ रू. में)

क्र. सं.	राज्य	परिपथ	स्वीकृति का वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत रा श	निर्गत रा श
1.	उत्तगर प्रदेश	बौद्ध परिपथ	**2016-17**	श्रावस्ती, कुशीनगर और क पलवस्तु का वकास	**87.89**	**72.56**
2.	उत्त6र प्रदेश	रामायण परिपथ	**2016-17**	चत्रकूट और श्रृंगवेरपुर का वकास	**69.45**	**64.09**
3.	उत्त9र प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	**2016-17**	अहर-अलीगढ़-कासगंज-सरोसी-(उन्नाव)-प्रतापगढ़-कौशाम्बी-मर्जापुर-गोरखपुर-डूमरियागंज-बस्ती-बाराबंकी-आज़मगढ़-कैराना-बागपत-शाहजहांपुर का वकास	**71.91**	**68.32**
4.	उत्त2र प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	**2016-17**	बिजनौर-मेरठ-कानपुर-कानपुर देहात- बांदा गाज़ीपुर-सलेमपुर-घोसी-ब लया-अंबेडकरनगर-अलीगढ़-फतेहपुर-देवरिया-महोबा-सोनभद्र-चंदौली- मश्रीख-भदोही का वकास	**67.51**	**64.14**
5.	उत्त4र प्रदेश	वरासत परिपथ	**2016-17**	का लंजर कले (बांदा) - मगहर धाम (संतकबीर नगर)-चौरीचौरा, शहीदस्थल(फतेहपुर)-मावाहर शहीद स्थल	**33.97**	**32.27**

				(घोसी)-शहीद स्मारक (मेरठ) का वकास		
6.	उत्तमर प्रदेश	रामायण परिपथ	**2017-18**	अयोध्या का वकास।	**127.21**	**115.46**
7.	उत्त4र प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	**2018-19**	जेवर-दादरी- सकंद्राबाद-नोएडा-खुर्जा-बांदा का वकास।	**12.03**	**9.63**
8.	उत्त3र प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	**2018-19**	गोरखनाथ मंदिर (गोरखपुर), देवीपाटन मंदिर (बलरामपुर) और वटवा सनी मंदिर (डोमरियागंज) का वकास	**15.76**	**12.61**
9.	-	मार्गस्थ सु वधाएं	**2018-19**	उत्तर प्रदेश और बिहार में वाराणसी - गया ; - कुशीनगर; कुशीनगर – गया - कुशीनगर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से मार्गस्थ सु वधाओं का वकास	**15.07**	**12.29**

प्रशाद योजना (करोड़ रू. में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अनुमोदित रा श	जारी की गई रा श
1.	उत्त.र प्रदेश	मेगा पर्यटक परिपथ (चरण-।।) के रूप में मथुरा-वृंदावन का वकास	**2014-15**	**14.93**	**10.38**
2.	उत्त.र प्रदेश	वृंदावन, जिला मथुरा में पर्यटक सु वधा केन्द्र का निर्माण	**2014-15**	**9.36**	**9.36**
3.	उत्त.र प्रदेश	वाराणसी का वकास - चरण-I	**2015-16**	**20.40**	**16.32**
4.	उत्त.र प्रदेश	गंगा नदी , वाराणसी में क्रूज पर्यटन	**2017-18**	**10.72**	**8.57**
5.	उत्त.र प्रदेश	प्रशाद योजना - चरण II के अन्तर्गत वाराणसी का वकास	**2017-18**	**44.60**	**31.77**
6.	उत्त.र प्रदेश	गोवर्धन, मथुरा उत्तर प्रदेश में अवसंरचना सु वधाओं का वकास	**2018-19**	**39.74**	**30.97**

पर्यटन अवसंरचना वकास हेतु केंद्रीय एजें सयों को सहायता योजना

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	केंद्रीय एजेंसी	स्वीकृत रा श	जारी की गई रा श
वर्ष 2013-14					
1.	उत्त.र प्रदेश	रेल मंत्रालय के सहयोग से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में पर्यटक सु वधाओं का संयुक्त वकास	रेल मंत्रालय	5.05	5.05
2.	उत्त.र प्रदेश	रेल मंत्रालय के सहयोग से राय-बरेली रेलवे स्टेशन में पर्यटक सु वधाओं का संयुक्त वकास	रेल मंत्रालय	4.44	3.55
वर्ष 2014-15					
3.	उत्त.र प्रदेश	वाराणसी/सारनाथ में स्मारकों का प्रदीप्तीकरण (सारनाथ में धमेख स्तूप सारनाथ में चौखंडी स्तूप , सारनाथ में लालकान का मकबरा और बनारस में मन महल)	आईटीडीसी	5.12	3.81
वर्ष 2017-18					
4.	उत्त.र प्रदेश	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में तीन स्मारकों पर रोशनी **1.** दशाश्वमेध घाट से दरबंगा घाट (**300** मीटर का फैलाव) **2.** तुलसी मानस मंदिर **3.** सारनाथ संग्रहालय	सीपीडब्ल्यूडी	2.94	2.94
वर्ष 2019-20					
5.	उत्तर प्रदेश (वाराणसी एवं इलाहाबाद-I,	राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या **1** और **2** पर नदी क्रूज के तटबंध के नौ मुख्य	आईडब्ल्यूएआई	28.03	7.01

	इलाहाबाद-**II),** बिहार (भागलपुर) , पश्चिम बंगाल (कोलकाता) और असम (नेमाती, पांडु, जोगी घोपा और वश्वनाथ घाट)	स्थलों पर आरोहण/अवरोहण के वकास के लए केंद्रीय वत्तीय सहायता			

****

अनुबंध-II

उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों की पहचान और उनका सौंदर्यीकरण कया जाना के संबंध में दिनांक 04.08.2022 के राज्य सभा के ल खत प्रश्न सं. 2218 के भाग (क) से (ग) के उत्तंर में ववरण

<u>स्वदेश दर्शन योजना 2.0</u>

i. पर्यटन कोर उत्पाद

(क) एटीएम/मुद्रा वनिमय काउंटरों के साथ पर्यटक सु वधा केंद्र , टूरिस्ट इंटर प्रटेशन सेंटर का निर्माण
(ख) स्मारकों/वरासत संरचनाओं का जीर्णोद्धार, संरक्षण, प्रकाश व्यवस्था
(ग) शल्प हाटों, बाजारों, स्मारिका दुकानों, कैफेटेरिया आदि का निर्माण।
(घ) नेचर ट्रेल्स, वॉचटावर, रेन शेल्टर और संबद्ध अवसंरचना का निर्माण
(ङ) आवास और ठहरने की सु वधा जैसे लॉग हट्स , टूरिस्ट लॉज, टेंट आवास, इको-रिट्रीट आदि।

ii. पर्यटन कार्यकलाप

(क) सम्मेलन केंद्रों/गोल्फ कोर्स/एक्वामरीन पार्कों/मनोरंजन पार्कों/थीम पार्कों का निर्माण
(ख) साह सक/गोल्फ/क्रूज/ग्रामीण/एमआईसीई और ऐसे अन्य पर्यटन कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लए सु वधाओं का निर्माण
(ग) उपरोक्त पर्यटन कार्यकलापों के लए उपकरणों का प्रावधान

iii. कला प्रदर्शन संबंधी अवसंरचना

(क) ओपन-एयर थएटर या एम्फी- थएटर का निर्माण
(ख) सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण
(ग) साउंड एंड लाइट शो की स्थापना

iv. स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा

(क) प्रसाधन
(ख) ठोस अप शष्ट प्रबंधन
(ग) प्राथ मक च कत्सा केंद्र (भारतीय च कत्सा प्रणाली सहित)

(घ) सीसीटीवी

v. कनेक्टि वटी, मार्गस्थ सु वधाएं और पा र्कंग

(क) सड़क, रेल या जल परिवहन के लए शौचालय , क्लोक रूम सु वधाएं और प्रतीक्षालय उपलब्ध कराने वाले यात्री ट र्मनलों का वकास/उन्नयन

(ख) पर्यटन परिवहन हेतु पर्यावरण के अनुकूल साधनों के लए उपकरणों की खरीद

(ग) पर्यटन स्थलों/गंतव्यों तक जाने वाली सड़क (अंतिम बिंदु तक) कनेक्टि वटी में सुधार

(घ) चन्हित परिपथों में पर्यटकों के लए आवश्यक हेलीपैड , हेलीपोर्ट, ह्वाई प ी, रोपवे का वकास/उन्नयन

(ङ) दुपहिया वाहनों, कारों, बसों, कारवां वाहनों के लए पा र्कंग की सु वधा

(च) आपातस्थिति में वाहन खराब होने, मरम्मत और ईंधन भरने की सु वधाओं के साथ मार्गस्थ सु वधाएं

(छ) सूचनात्मक / दिशात्मक संकेत

(ज) टेलीफोन बूथ, मोबाइल सेवाओं और इंटरनेट कनेक्टि वटी के माध्यम से संचार व्यवस्था में सुधार

vi. सामान्य साइट वकास

(क) सामान्य सुधार जैसे म ी भरना , लैंडस्के पंग (पेड़ों, झा ड़यों सहित), पानी के फव्वारे, बाड़, प्रकाश व्यवस्था, फुटपाथ / पैदल मार्ग / रास्ते / ड्राइव वे , बैठने की सु वधा / शेल्टर , पेयजल बिंदु , कूड़ेदान, वर्षा जल निकासी , सीवरेज/एफ्लुएंट उपचार सु वधाएं

(ख) बाह्य अवसंरचना जैसे पानी की आपूर्ति , सीवरेज, जल निकासी, बिजली और सड़कें

(ग) तटरेखा वकास और प्राकृतिक जल निकायों जैसे नदियों , झीलों, नदियों, नदी के कनारों का कायाकल्प।

(घ) स्लम उन्नयन

(ङ) वाई - फाई

vii. स्थायी पर्यटन

(क) स्ट्रीट लाइटिंग के लए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग

(ख) पर्यटक अवसंरचना के लए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत

(ग) पर्यावरण की देखभाल और स्वच्छ प्रौद्यो गकी तक पहुंच

(घ) सभी वक सत संरचनाएं सार्वभौ मक रूप से सुलभ (वकलांग अनुकूल) होनी चाहिए

viii. सॉफ्ट इंटरवेंशन

(क) एसेट मै पंग
(ख) प्रचार और वपणन
(ग) क्षमता निर्माण
(घ) कौशल वकास
(ङ) ज्ञान प्रबंधन
(च) डजिटल टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म

<u>प्रशाद योजना</u>

अवसंरचना वकास

- प्रमुख गंतव्य बिंदुओं और यदि आवश्यक हो तो शहर के प्रवेश बिंदुओं जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर शौचालय, क्लोक रूम की सु वधा और प्रतीक्षालय।
- सूचनात्मक / दिशात्मक संकेत (यदि संभव हो तो इन्हें निजी क्षेत्र द्वारा वत्त पो षत कया जा सकता है)। डजाइन की एकरूपता बनाए रखने और सौंदर्य बढ़ाने के लए डीपीआर टूल कट में दिशानिर्देश तैयार कए जाने चाहिए।
- गंतव्य प्रवेश बिंदुओं यथा यात्री ट र्मनल (सड़क , रेल और जल परिवहन के) का वकास/उन्नयन। इन प्रवेश बिंदुओं पर बुनियादी सु वधाएं जैसे पर्यटन सूचना/इंटर प्रटेशन सेंटर के साथ एटीएम/मुद्रा वनिमय काउंटर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- स्मारकों/तीर्थ संरचनाओं पर प्रकाश व्यवस्था।
- आपातस्थिति में वाहन खराब होने , मरम्मत सु वधाओं और पर्यटकों के लए कारवां वाहनों को खड़ा करने के लए बुनियादी ढांचे के प्रावधान के साथ मार्गस्थ सु वधाओं का प्रावधान। क्षेत्र और क्षमता की गणना संबं धत गंतव्यों के लए पर्यटकों के दैनिक औसत आगमन के अनुसार की जाएगी।
- दोपहिया वाहनों, कारों, बसों और कारवां के लए पा र्किंग की सु वधा।
- प्रमुख गंतव्यों तक जाने वाली सड़क में अंतिम बिंदु तक कनेक्टि वटी सुधार।
- सामान्य सुधार जैसे लैंडस्के पंग (पेड़ और झा ड़याँ शा मल हैं) , पानी के फव्वारे, बाड़, प्रकाश व्यवस्था, फुटपाथ / पैदल मार्ग / रास्ते / ड्राइव वे , बैठने की सु वधा / शेल्टर, पेयजल बिंदु, कूड़ेदान, वर्षा जल निकासी और सीवरेज / अप शष्ट उपचार सु वधाएं गंतव्य के तीर्थ क्षेत्र के भीतर अनुमत्य हैं।
- प्राथ मक च कत्सा केंद्र (भारतीय च कत्सा प्रणाली सहित)।
- टेलीफोन बूथ, मोबाइल सेवा और इंटरनेट कनेक्टि वटी, वाई-फाई हॉटस्पॉट के माध्यम से संचार में सुधार।
- वॉच टावर का निर्माण (निगरानी और सुरक्षा उद्देश्य के लए), रेन शेल्टर (तीर्थयात्रियों के लए)

- चह्नित स्थलों के आध्यात्मिक / वरासत अनुभव को बढ़ाने के लए पर्यटन कार्यकलापों हेतु उपकरण जैसे साउंड एंड लाइट
- ओपन एयर थएटर और एम्फी थएटर का निर्माण
- शल्प हाटों /बाजारों/स्मारिका दुकानों/कैफेटेरिया का निर्माण।
- पर्यटन परिवहन हेतु पर्यावरण के अनुकूल साधनों के लए उपकरणों की खरीद , जो प्रमुख संपत्तियों के लए अंतिम मील कनेक्टि वटी और पैदल चलने वाली सड़कों पर वृद्धों, वकलांग लोगों और बच्चों (8 वर्ष से कम) की आवाजाही को सु वधाजनक बनाने के लए लगाए जाने चाहिए।
- नदियों, झीलों, धाराओं और प वत्र/ऐतिहा सक महत्व की नदियों के अग्रभाग का तटरेखा वकास और कायाकल्प और पर्यटन मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध मंत्रालयों के परामर्श से इस पर वचार कया जाएगा।
- पर्यटकों के लए उन चन्हित गंतव्यों में हेलीपैड, रोपवे की आवश्यकता है जहां अन्य परिवहन संपर्क कमजोर है।
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग और पर्यावरण की देखभाल के लए पर्यटक अवसंरचना हेतु स्वच्छ प्रौद्यो गकी तक पहुंच।
- बाहरी आधारभूत संरचना जैसे पानी की आपूर्ति , सीवरेज, जल निकासी, बिजली और सड़कें।
- कोई अन्य गति व ध जो सीधे पर्यटन से संबं धत हो और जो चन्हित तीर्थ स्थलों/गंतव्यों के वकास या वरासत शहर के एकीकृत पर्यटन वकास के लए आवश्यक हो।

उपरोक्त के अलावा, केवल वरासत शहर के एकीकृत पर्यटन वकास के लए निम्न ल खत अवसंरचना घटकों की अनुमति होगी:

- वरासत/सांस्कृतिक/पर्यटक क्षेत्रों के आसपास नागरिक अवसंरचना का मूल्यांकन और उन्नयन तथा आसपास के क्षेत्रों के फेकेड सुधार पर स्थानीय सरकारों के साथ चर्चा से आं शक वत्त पोषण तंत्र के साथ काम कया जाएगा।
- हेरिटेज वॉक, स्ट्रीट- स्के पंग गति व धयों का वकास जो भू मगत केब लंग , स्ट्रीट फर्नीचर, वर्षा जल निकासी और वॉक वे / पाथ वे तक सी मत नहीं है।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेलों और त्योहारों और संबं धत अवसंरचना में सहायता।
- संग्रहालयों, इंटर प्रटेशन सेंटर और सामाजिक-सांस्कृतिक स्थानों का वकास।
- ऐतिहा सक संरचना/स्मारक का जीर्णोद्धार/संरक्षण
- वरासत क्षेत्रों / परिसरों का पुनरोद्धार और स्मारकों आदि का संरक्षण।
- पात्र संरचनाओं के लए अनुकूलनीय पुन: उपयोग योजनाएं

क्षमता वकास, कौशल वकास और ज्ञान प्रबंधन

- वस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में राज्य द्वारा चह्नित कौशल अंतराल को दूर करने के लए वशेष पाठ्यक्रम
- भारत सरकार की अन्य योजनाओं के सहयोग से अल्पका लक कौशल वकास प्र शक्षण कार्यक्रम।
- स्वदेशी कला और शल्प में स्थानीय क्षमता और वशेषज्ञता के उपयोग पर जोर।
- भ वष्य में उपयोग के लए पर्यटन में ज्ञान के आधार का दस्तावेजीकरण और संरक्षण।

ऑनलाइन उपस्थिति

(क) जीआईएस आधारित इंटरैक्टिव और इंटै लजेंट पोर्टल वकास तथा मोबाइल एप्लिकेशन, जो निम्न ल खत उपलब्ध कराएँ:

- स्थान आधारित सेवाएं
- स्थान आधारित सामग्री
- ए-कॉमर्स एप्लिकेशन के माध्यम से बु कंग की सु वधा
- मौजूदा सेवा प्रदाताओं के आवेदनों से लंकेज
- पर्यटकों के साथ-साथ ऑपरेटरों के लए भी डैशबोर्ड सहयोग
- वभाग के लए निर्णय सहयोग रिपोर्टिंग

(ख) परियोजना निगरानी और प्रबंधन प्रणाली

- परियोजना निगरानी और प्रबंधन प्रणाली के लए ऑनलाइन डैशबोर्ड
- ऑनलाइन उपयो गता प्रमाणपत्र प्रस्तुति के माध्यम से परियोजना की प्रगति पर नज़र रखना
- ई-प्रोक्योरमेंट सस्टम के माध्यम से खरीद की निगरानी
- उपलब्धियाँ पूरी होने के संबंध में निगरानी
- वृ द्ध और भन्नताओं से संबं धत मुद्दों को ट्रैक करना।

(ग) अनुमति आधारित ज्ञान पोर्टल

- सामग्री संरक्षण के लए एक बैक-एंड डजिटल लाइब्रेरी बनाना।
- भ वष्य के संदर्भों के लए प्रासं गक शोध पत्रों को उपयुक्त संस्थानों में भेजना।

(घ) डेटा एना लटिक्स और रिपोर्टिंग

आईईसी घटक

- योजना आवंटन का 10% आईईसी घटकों के लए निर्धारित कया गया है

<u>पर्यटन अवसंरचना वकास के लए केन्द्रीय एजें सयों को सहायता योजना</u>

(क) गंतव्य के परिवेश में सुधार। इसमें लैंडस्के पंग , पार्कों का वकास , बाड़ लगाना , परिसर की दीवार आदि जैसे कार्यकलाप शा मल होंगें।

(ख) पर्यटक गंतव्यों और आसपास के क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था और परियोजना स्थल पर प्रसाधन कक्षों/वश्राम गृहों, टिकट काउंटर, फूड कोर्ट, दिव्यांगों/बच्चों/वरिष्ठ नागरिकों के लए सु वधाओं जैसी नागरिक सु वधाओं की स्थापना सहित एसईएल/मल्टीमी डया/मल्टीडायमेंशनल शो आदि, यथावश्यक प्रचार सामग्री बैटरी चा लत कार्ट आदि।

(ग) परियोजना के प्रारं भक लॉन्च के पांच साल बाद इस योजना के तहत तकनीकी इनोवेटिव शो की आवश्यकता के अनुरूप मौजूदा एसईएल/मल्टीमी डया शो के पुन: संकल्पना/ठन्नयन पर भी वचार कया जा सकता है।

(घ) उन सार्वजनिक भवनों का निर्माण जिन्हें मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के कारण ध्वस्त करना आवश्यक है।

(ङ) स्मारकों की प्रकाश व्यवस्था/पुनर्स्थापन/नवीनीकरण।

(च) व भन्न गंतव्यों पर रु च के स्थानों में पर्यटन क्षेत्र के नक्शे और प्रलेखन दिखाने वाले साइनेज और डस्प्ले बोर्ड।

(छ) पर्यटक आगमन केंद्र, स्वागत केंद्र, इंटर प्रटेशन सेंटर

(ज) क्रूज ट र्मनलों का वकास।

(झ) सम्मेलन केंद्रों का निर्माण

****